

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 02/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
हीरो फिनकोर्प लिमिटेड, पता-34, कन्वूनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, न्यू दिल्ली ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स सांगा डेयरी फार्म जरिये प्रो. श्री जगदेव सिंह,
पता-विनायक एनक्लेव, दीप विहार, तकिया की चौकी, रावण गेट के सामने, कालवाड रोड,
झोटवाडा, जयपुर,
एवं 7 झ 7 जवाहर नगर, एम पी एस स्कूल के पास, जयपुर।
2. मैसर्स वारिस डेयरी फार्म जरिये प्रोपराईटर श्री वारिस सांगा,
3. मैसर्स सांगा पैलेस प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री जगदेव सिंह,
पता :- 7 झ 7 जवाहर नगर, एम पी एस स्कूल के पास, जयपुर।
एवं 69, विनायक एनक्लेव, दीप विहार, गोकुलपुरा, कालवाड रोड जयपुर ।
4. श्री जगदेव सिंह,
5. श्री वारिस सांगा,
पता :- पता :- 7 झ 7 जवाहर नगर, एम पी एस स्कूल के पास, जयपुर।
6. श्रीमती दिव्या जुनेजा,
पता :- 7 झ 7 जवाहर नगर , एम पी एस स्कूल के पास, जयपुर।
एवं 462, बीस दुकान, आदर्श नगर, तडका के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.05.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स सांगा पैलेस प्रा. लि. जरिये निदेशक जगदेव सिंह के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 69, विनायक एनक्लेव, दीप विहार, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 713.91 वर्गगज को बन्धक रख कर 1,68,93,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय द्वित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अविबक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016 का सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 1,68,93,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि रुपये 1,76,44,596.60/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स सांगा पैलेस प्रा. लि. जरिये निदेशक जगदेव सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 69, विनायक एन्क्लेव, दीप विहार, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 713.91 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने में पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



8. आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश विष्ट)
जिला मजिस्ट्रेट
(तकटर) जयपुर